

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्र.सं.	नाम कार्मिक बी/डीपी/सुबी	कहाँ से राजमावि/राकाकमावि	जिला	कहाँ को राजमावि/राकाकमावि	जिला
1	AVINASH BENIWAL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ODA	RAJASMAND	GOVT.SR.SEC.SCH. RAWLA MANDI (B PSD B), GHARASANA	GANGANAGAR
2	MUKESH AHARI	G.G.S.SEC.S.AMBAMATA	UDAIPUR	G.S.SEC.SCH. KANWARPADA	UDAIPUR
3	SHAHNAZ BANU	G.S.SEC.S.KANWARPADA	UDAIPUR	G.G.S.SEC.S.AMBAMATA	UDAIPUR
4	RAMESHWAR LAL MEENA	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL KHAJURI	BHILWARA	GOVT.HR.SEC.SCH. NAGOLA, BHINAI (08210704201)	AJMER
5	CHUTARARAM	Office of Chief Block Education Officer, Block- SINDHARI,	BARMER	GOVT. GIRLS SR.SEC.SCHOOL, SINDHARI, SINDHARI CHOUSIRA, (220769)	BARMER
6	SHASHI KALA SAHU	GOVT. SR. SEC. SCH. PEEPLU	TONK	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	TONK
7	RAMDAYAL JANGID	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	TONK	GOVT. SR. SEC. SCH. KALMANDA, MALPURA (08220111804) (MALPURA-TODARAISINGH)	TONK
8	ANUPAM KUMAR BAIRWA	G.S.SEC.S., RATLAJ	JHALAWAR	GOVT. SR. SEC. SCH. PEEPLU	TONK
9	ABDUL MUNIM KHAN	GOVT. SR.SEC.SCH. DODWARI	TONK	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	TONK
10	BUDDI PRAKASH ACHARIYA	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	TONK	GOVT. SR.SEC.SCH. DODWARI	TONK
11	KAMLESH KUMAR SHARMA	GOVT. HR. SEC. SCHOOL AKOLA	CHITTAURGARH	K.B. Mor GOVT. G.SR.SEC.SCH., NECHHAWA, NECHHAWA, NECHHW	SIKAR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 2, 4, 7 एवं 10 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाये। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही हाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जाये।

(मध्यमल डिपेंड)

अधीक्षक

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी/2019-20

दिनांक- 29/09/19

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रचार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- शासन उप सचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पन्न करवाकर निदेशालय को प्रगति दें।
- सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जाये।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रगती मोनटरिंग करें।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- सम्बन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर